नियम एवं शर्तें

ऐक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड के लिए नियम एवं शर्तें

ऐक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड ('कार्ड') के उपयोग से जुड़े सभी लेनदेनों पर ये नियम और शर्तें लागू होती हैं और कार्डधारक और बैंक के बीच अनुबंध पूरा बनाती हैं जिसके अधीन बैंक द्वारा कार्ड जारी किया गया है. इन नियमों और शर्तों के संबंध में :

- एकवचन के सभी संदर्भों में बहुवचन और पुल्लिंग में स्त्री लिंग शामिल होगा
- उपनियम शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और संबंधित उपनियम का अर्थ प्रभावित नहीं करते हैं
- यदि सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय द्वारा इससे संबंधित ऐसे किसी भी प्रावधान को अवैध, शून्य या अप्रवर्तनीय अवधारित किया जाता है, तो ऐसे प्रावधान को यहां से हटा दिया गया माना जाएगा और शेष नियम और शर्तें लागू और प्रभावी बनी रहेंगी

परिभाषाएँ

इस दस्तावेज़ में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का निम्नलिखित अर्थ होगा :

a. 'एटीएम' से आशय स्वचालित टेलर मशीन से है.

b. कार्ड के संबंध में 'आवेदक' से आशय बैंक को कार्ड के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है.

c. कार्ड के संबंध में 'उपलब्ध राशि' से आशय दिए गए समय पर कार्ड पर उपयोग के लिए उपलब्ध राशि, निम्नोक्त द्वारा लघुकृत कार्ड खाते में जमा राशि (राशियों) से है
   a) लेनदेन (लेनदेनों) के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि (राशियों) और
   b) कार्ड खाते पर बैंक द्वारा प्रभारित शुल्क, लागत और कार्ड पर व्यय

d. 'बैंक' से आशय ऐक्सिस बैंक लिमिटेड से है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में निगमित कंपनी और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में बैंकिंग कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'त्रिशूल' तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के निकट, एलिसब्रिज, अहमदाबाद - 380006 में है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समानुदेशिती शामिल हैं.

e. कार्ड के संबंध में 'लाभार्थी' से आशय आवेदक से उपहार के रूप में कार्ड प्राप्त करने वाले आवेदक के दायित्वों को स्वीकार करने वाले और आवेदक की प्रसंविदाओं से सहमत होने वाले व्यक्ति से है. हालांकि, बैंक ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा.

f. 'कार्ड' से आशय इससे संबंधित शर्तों में बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किए गए गिफ्ट कार्ड से है.

g. कार्ड के संबंध में 'कार्डधारक' से आशय कार्ड के आवेदक या लाभार्थी से है.

h. 'कार्ड खाता' से आशय कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा रखे गए खाते से है.

i. 'ईडीसी' से आशय इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर टर्मिनल, मुद्रक, अन्य परिधीय सामग्रियों और सहायक उपकरणों और ऐसा यंत्र चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर से है.

j. 'व्यापारी' या 'व्यापारी प्रतिष्ठान' से आशय कहीं भी स्थित ऐसे प्रतिष्ठानों से होगा जो कार्ड स्वीकार करते/लेते हैं और इसमें बैंक और/या वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे द्वारा विज्ञापित अन्य के साथ-साथ स्टोर दुकानें, रेस्तरां, आदि शामिल होंगे.

k. 'पीओएस' से आशय पाइंट ऑफ सेल टर्मिनल से है.

l. 'लेनदेन' से आशय कार्ड का प्रयोग करके कार्डधारक द्वारा लेनदेन पूरा करने के लिए बैंक को, चाहे ईडीसी, पीओएस या बैंक के किसी अन्य यंत्र के माध्यम से हो या बैंक के साझा नेटवर्क के माध्यम से हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिए या किए गए निर्देश, पूछ-ताछ या संचार से है जैसा कि बैंक के रिकॉर्ड में दिख रहा होगा.

m. 'वीज़ा' वीज़ा इंटरनेशनल के स्वामित्व वाला ट्रेडमार्क इंगित करता है.

n. 'मास्टरकार्ड' से आशय मास्टरकार्ड के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क से है.

o. 'रुपे' से आशय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के स्वामित्व वाले से ट्रेडमार्क है.

1. **कार्ड की वैधता और उपयोग**

1.1 यह कार्ड केवल भारत में वैध होगा.

1.2 कार्ड की अधिकतम वैधता उदाहरण के लिए तिथि (जुलाई-14 से जुलाई-15) से शुरू होकर एक वर्ष है. कार्ड अपनी वैधता अवधि के रूप में इंगित महीने के अंतिम दिन तक वैध रहेगा. हालांकि, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले कार्ड में शेष राशि शून्य पर पहुंच जाने पर कार्ड वैध नहीं रहेगा.

1.3 कार्ड या लेनदेन के संबंध में बैंक से सभी संचार केवल आवेदक द्वारा ही किए जाने चाहिए. कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा कोई भी संचार बैंक की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा या सीधे आवेदक को सूचित किया जाएगा.

1.4 कार्ड का उपयोग तत्कालीन उपलब्ध राशि तक लेनदेन के लिए किया जा सकता है.

1.5 कार्ड का कार्डधारक द्वारा उपयोग किया जाएगा और यह हस्तांतरणीय नहीं है.

1.6 कार्ड पर लेनदेन पर, ऐसे लेन-देन के बाद नई उपलब्ध राशि पर पहुंचने के लिए ऐसी राशि तत्कालीन उपलब्ध राशि से कम कर दी जाएगी. यदि लेनदेन संसाधित करने के लिए कार्ड में पर्याप्त उपलब्ध राशि मौजूद नहीं है, तो लेनदेन संसाधित नहीं किया जाएगा.

1.7 कार्ड का उपयोग ऐक्सिस बैंक प्रीपेड कार्ड के नियमों और शर्तों की स्वीकृति समझा जाएगा

1.8 नकद निकासी सुविधा गिफ्ट कार्ड पर उपलब्ध नहीं होगी.

1.9 कार्ड पर उपलब्ध/लोड की गई राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा.

1.10 कार्डधारक केवल रू. 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) अधिकतम मूल्य या ऐसी अन्य सीमा के अधीन केवल एक बार कार्ड लोड कर पाएगा जैसा कि बैंक द्वारा आंतरिक और लागू नियामकीय और सांविधिक दिशानिर्देशों के अधीन निर्दिष्ट किया जा सकता है. इसके बाद कार्डधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्ड को पुन: लोड नहीं किया जा सकता है.

1.11 ऐक्सिस बैंक गिफ्ट कार्ड केवल भारत में किसी भी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रूपे सक्षम मर्चेंट आउटलेट टर्मिनल में और ऑनलाइन पोर्टलों पर उपयोग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है.

1.12 बैंक केवल शेषराशि पूछताछ और विवरण प्रश्नों के लिए कार्ड के साथ इंटरनेट बैंकिंग पहुंच भी प्रदान करता है. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सभी फंड ट्रांसफर सुविधाएं अवरुद्ध हैं.

1.13 कार्ड में कोई भी मूल्य जिसका उपयोग या निकासी इसके जारी होने की तिथि से 10 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, उसे डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

2. कार्ड के लिए आवेदन

2.1 कार्ड का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति को कार्ड खाते में जमा की जाने वाली राशि के साथ बैंक द्वारा निर्धारित गिफ्ट कार्ड आवेदन सह जमा प्रपत्र में बैंक को आवेदन करना चाहिए.

2.2 बैंक के पास कोई भी कारण बताए बिना किसी भी आवेदन पर विचार न करने का अधिकार होगा.

2.3 बैंक कार्डधारक द्वारा कार्ड के संबंध में बैंक के पास जमा राशि (राशियां) कार्ड से संबंधित कार्ड खाते में जमा कर देगा.

3. कार्ड की सुरक्षा

3.1 कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होगा और कार्ड के सुरक्षित उपयोग के लिए सभी कदम उठाएगा.

3.2 यदि आवेदक कार्ड का उपयोग करता है तो उसे कार्ड की प्राप्ति पर कार्ड के पीछे इसके अनधिकृत उपयोग से बचने के लिए हस्ताक्षर करना होगा. यदि आवेदक किसी और को कार्ड उपहार में दे रहा है, तो कार्ड के लाभार्थी को कार्ड की प्राप्ति पर कार्ड के पीछे इसके अनधिकृत उपयोग से बचने के लिए हस्ताक्षर करना होगा.

4. व्यापारी का स्थान और पॉइंट ऑफ़ सेल उपयोग

4.1 एटीएम, पॉइंट ऑफ़ सेल या व्यापारी के स्थान पर नकद निकासी या जमा की अनुमति नहीं है.

4.2 भारत में मर्चेंट आउटलेट में सभी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल और ऑनलाइन मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर कार्ड स्वीकार किया जाता है जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रूपे का लोगो प्रदर्शित करते हैं.

4.3 किसी भी परिसर में प्रदर्शित वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे प्रतीक के लिए कार्ड प्रचार संबंधी सामग्री इस बात की वारंटी नहीं है कि उन परिसरों में उपलब्ध सभी वस्तुएं और सेवाएं कार्ड से खरीदी जा सकती हैं.
कार्ड इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल ईडीसी टर्मिनल रखने वाली व्यापारी पर स्वीकार्य होगा. इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा कार्ड का कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक इस तरह के लेनदेन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा. ईडीसी टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित चार्ज स्लिप/लेनदेन पर्ची पर इलेक्ट्रॉनिक उपयोग बनाया गया है.

4.4 कार्ड पर कार्डधारक का हस्ताक्षर होने पर ही कार्ड स्वीकार किया जाएगा.

4.5 ईडीसी टर्मिनल द्वारा बिक्री पर्ची देने के बाद ही लेनदेन अधिकृत और पूर्ण माना जाता है.

4.6 कार्डधारक को सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापारी के स्थान पर केवल एक बार कार्ड का उपयोग किया जाए. जब भी कार्ड का उपयोग किया जाएगा, हर बार बिक्री पर्ची मुद्रित की जाएगी और कार्डधारक को सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद के समय व्यापारी के स्थान पर कार्ड का कोई भी एकाधिक उपयोग न हो.

4.7 बैंक ऐसे किसी भी लेनदेन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा जो कार्डधारक व्यापारी के साथ कर सकता है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है लेकिन जो इतने तक ही सीमित नहीं है. यदि कार्डधारक की किसी भी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो कार्डधारक द्वारा मामला व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफलता कार्डधारक को बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं देगी. हालांकि, कार्डधारक को तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए.

4.8 बैंक व्यापारी द्वारा लगाए गए और कार्ड खाते में डेबिट किए गए किसी भी अधिभार के लिए कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

4.9 जब भी व्यापारी प्रतिष्ठान पर कार्ड का उपयोग किया जाता है तो कार्डधारक को बिक्री पर्ची पर हस्ताक्षर करना और उसे बनाए रखना चाहिए. अतिरिक्त शुल्क पर बैंक बिक्री पर्ची की प्रतियां प्रदान कर सकता है. व्यक्तिगत रूप से कार्डधारक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं, लेकिन जिसे कार्डधारक द्वारा अधिकृत होना सिद्ध किया जा सकता है, ऐसी कोई भी बिक्री पर्ची कार्डधारक का दायित्व होगी.

4.10 भुगतान के लिए बैंक द्वारा किसी भी व्यापारी से प्राप्त कोई भी शुल्क या अन्य भुगतान माँग इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगी कि इस तरह की माँग पर दर्ज किया गया प्रभार उस राशि में व्यापारी द्वारा और कार्ड के उपयोग द्वारा प्रभार या अन्य मांग जैसी भी स्थिति हो सकती है, में निर्दिष्ट कार्डधारक द्वारा उचित रूप से वहन किया गया था सिवाय इसके कि जहां कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया है, जिसके लिए साक्ष्य का जिम्मा कार्डधारक पर होगा..

4.11 यदि व्यापारी किसी त्रुटि या मर्चेंडाइज रिटर्न के कारण पूरा हो गया लेनदेन रद्द करना चाहता है, तो पहले की बिक्री रसीद व्यापारी द्वारा रद्द की जानी चाहिए और रद्द रसीद की एक प्रति अपने कब्जे में रखनी चाहिए. किसी भी व्यापारी/उपकरण त्रुटि या संचार लिंक के कारण सभी धनवापसी और समायोजन मैन्युअल रूप से संसाधित किए जाने चाहिए और खाते के उचित सत्यापन के बाद और यथा लागू वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे नियमों और विनियमों के अनुसार खाता क्रेडिट किया जाएगा. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि इस समय के दौरान प्राप्त कोई भी डेबिट इस धनवापसी पर विचार किए बिना कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि के आधार पर ही स्वीकार किया जाएगा. कार्डधारक भुगतान निर्देशों को अस्वीकार करने के इस तरह के कृत्यों से बैंक की क्षतिपूर्ति भी करेगा.

4.12 चेक-इन के दौरान होटल पर और अन्य स्थानों पर कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जहाँ खरीद लेनदेन या सेवाओं के समापन से पहले भुगतान की व्यवस्था की जाती है.

4.13 किसी भी मेल ऑर्डर/फोन ऑर्डर खरीद के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक पूरी तरह उत्तरदायी होगा.

विदेशी पत्रिकाओं/आवधिकों की सदस्यता के भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक पूरी तरह उत्तरदायी होगा.

4.14 किसी भी ईडीसी/पीओएस इतर उपकरण पर कार्ड के उपयोग पर लगाया जा रहा सेवा शुल्क और/या लेनदेन शुल्क और/या प्रसंस्करण शुल्क और/या प्रसंस्करण शुल्क सम्मिलित हो सकता है.

4.15 ऐसे सभी शुल्क उपलब्ध राशि से काटे जाएँगे चाहे कार्डधारक को ऐसे शुल्क की पूर्व सूचना दी गई हो या नहीं.

4.16 कार्डधारक को लेनदेन का रिकॉर्ड बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

5. कार्डधारक के दायित्व और प्रसंविदाएँ

5.1 कार्डधारक अपने पते में परिवर्तन की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करेगा.

5.2 कार्डधारक हर समय कार्ड सुरक्षित जगह पर रखा जाना सुनिश्चित करेगा.

5.3 कार्ड बैंक की संपत्ति है और अनुरोध किए जाने पर बैंक के अधिकृत व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए. कार्डधारक सुनिश्चित करेगा कि कार्ड सौंपने से पहले बैंक के अधिकृत कर्मी की पहचान स्थापित की जाए.

5.4 कार्डधारक सभी लेनदेन और संबंधित शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा.

5.5 कार्डधारक स्वीकार करता है कि उसके अनुरोध और जोखिम पर बैंक ने उसे कार्ड प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और अपने कार्ड के उपयोग से दर्ज किए गए सभी लेनदेन के लिए पूर्ण ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है.

5.6 कार्ड के माध्यम से दिया गया निर्देश अपरिवर्तनीय होगा.

5.7 कार्डधारक, सभी परिस्थितियों में, कार्ड के उपयोग के लिए पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके ज्ञान या उसके प्राधिकार, व्यक्त या विवक्षित, के साथ संसाधित किया गया हो या नहीं.

5.8 कार्डधारक अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को अपने कार्ड खाते में लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग करके उपयोग की गई राशि डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है.

5.9 कार्डधारक को बैंक को सद्विश्वास से और लेनदेन में आधारित व्यापार के सामान्य क्रम में अपने कार्यों के लिए क्षतिपूरित और हानिरहित रखना चाहिए.

5.10 बैंक लेनदेन करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों को नियोजित करेगा लेकिन किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोई देयता अपने ऊपर नहीं लेगा, जिसमें इसकी देरी या लेनदेन या निर्देश पूरी करने में असमर्थता शामिल है.

5.11 कार्डधारक इस तरह के लेनदेन या प्रविष्टि की तिथि से 7 दिनों के भीतर कार्ड खाते में लेनदेन या प्रविष्टि के बारे में सभी विवाद बैंक के संज्ञान में लाने के लिए सहमत है, जिसके अभाव में सभी लेनदेन और कार्ड खाता प्रविष्टियाँ सही और कार्डधारक द्वारा स्वीकार मानी जाएँगी.

5.12 कार्डधारक आवश्यकता न होने पर या समय सीमा समाप्त हो जाने पर या गुम होने की सूचना के बाद पुनर्प्राप्ति पर बैंक को कार्ड वापस लौटा देगा.

5.13 कार्डधारक खुदरा प्रतिष्ठानों पर खरीद के लिए भुगतान करने के लिए अपने कार्ड का उपयोग कर सकता है जिन्होने कार्ड स्वीकार करने की सहमति दी है और जो पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल से लैस हैं जो वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे लेनदेन संसाधित कर सकता है. यदि कार्डधारक किसी और को अपने कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देता है तो हम इसे ऐसा मानेंगे जैसे कि..........

5.14 कार्डधारक ने अधिकृत किया है कि कार्डधारक और उसके कार्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने कार्ड के साथ शुरू किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा. पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरण या अन्य खरीद लेनदेन के माध्यम से किसी भी खरीद पर कार्ड पर उपलब्ध राशि को इस तरह की खरीद की राशि से कम कर दिया जाएगा.

5.15 कार्डधारक कार्ड पर व्यय की गई ऐसी सभी राशियों का बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत है, जो कार्ड की खरीद पर खरीदार द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से अधिक हो जाती हैं जैसे कि रेस्तरां बख्शीश और अन्य अधिभार

5.16 यदि किसी कारण से यह योजना बंद कर दी जाती है या RBI द्वारा इसे बंद करने का निर्देश दिया जाता है तो कार्डधारक को कार्ड में बची शेष राशी प्रतिदत्त करवाने की अनुमति होगी.

5.17 कार्डधारक द्वारा इस कार्ड का उपयोग क्रिप्टो करंसी खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा.

6. कार्ड का गुम होना

6.1 कार्ड गुम हो जाने पर कार्डधारक को बैंक को टेलीफोन (फोन बैंकिंग) पर या बैंक को लिखित संचार के माध्यम से तत्काल इस तरह खोने की सूचना देनी होगी.

6.2 कार्डधारक को पुलिस के पास कार्ड गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और उसकी एक प्रतिलिपि बैंक को भेजनी होगी.

6.3 खोए कार्ड की रिपोर्ट के सत्यापन के बाद बैंक ऐसे खोए कार्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति के दिन के अगले कामकाजी दिन पर अस्थायी रूप से निलंबित (हॉट लिस्ट) कर देगा.

6.4 6.4 कार्डधारक अपने कार्ड पर किए गए सभी लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि वह बैंक को अपना कार्ड खोने की सूचना नहीं दे देता है.

6.5 कार्ड खोने की स्थिति में, कार्डधारक को प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जाएगा और अप्रयुक्त शेषराशि कार्ड जारी करने का शुल्क काटने के बाद प्रतिस्थापन कार्ड में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

7. अप्रयुक्त कार्ड राशि

7.1 एसएमएस/ईमेल जैसे उपलब्ध चैनलों में से किसी एक के माध्यम से पीपीआई की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले 45 दिनों की अवधि से पहले ग्राहकों को सूचित किया जाएगा.

7.2 कार्ड की समय सीमा की समाप्ति की तिथि पर या उसके बाद किसी भी बकाया राशि का धारक द्वारा खरीदे गए बैंक के ऐसे ही नए भुगतान विलेख में अंतरण करने की अनुमति दी जा सकती है.

8. शुल्क और प्रभार

8.1 शुरुआती कार्ड शुल्क बैंक को पहले देय होगा.

8.2 बैंक कार्ड पर किए गए लेनदेन के लिए कार्डधारक पर कोई भी शुल्क/प्रभार प्रभारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. लागू शुल्क और प्रभारों का विवरण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं.

8.3 कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप देय कोई भी सरकारी शुल्क, या विवरण, या कर कार्डधारक की ज़िम्मेदारी होगी.

8.4 कार्डधारक बैंक को अपने कार्ड की शेष राशि से कटौती करने और ऐसे किन्हीं भी व्ययों के विरूद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें अपने कार्ड के संबंध में बैंक को कार्डधारक द्वारा देय धनराशि संग्रहीत करने में बैंक को उठाना पड़ सकता है (जिसमें कानून द्वारा अनुमत सीमा तक बगैर सीमा के वकील का उचित शुल्क शामिल है).

8.5 कार्डधारक द्वारा बकाया और देय राशियां, यदि अलग से भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक द्वारा उपलब्ध राशि से वसूली जा सकती है या कार्डधारक के बैंक के पास किसी अन्य खाते से डेबिट की जा सकती हैं.

9. सुविधाओं का परिवर्तन

9.1 बैंक अपने विवेक से, कार्ड के उपयोग के लिए साझा सेवाओं के माध्यम से और अधिक ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन और/या अन्य सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध करा सकता है. कार्डधारक समझता है और सहमति देता है कि ऐसे नेटवर्क विभिन्न सेवाओं और/या स्थानों के लिए विभिन्न कार्यक्षमता, सेवा पेशकश और अलग-अलग शुल्क प्रदान कर सकते हैं.

9.2 बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, किसी भी समय, कार्डधारक को सूचना दिए बिना ईडीसी, पीओएस, पर कार्ड और/या उससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा, ऑनलाइन और/या अन्य सेवाओं तक पहुँच वापस लेने, बंद करने, रद्द करने, निलंबित/या समाप्त करने का हकदार होगा और इस तरह के निलंबन या समाप्ति के परिणामस्वरूप किसी भी तरह से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा.

9.3 अनुरक्षण : जबकि सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित करने की संभावना वाले रखरखाव के काम की अग्रिम सूचना दी जाएगी, लेकिन बैंक किसी भी समय, किसी भी सूचना के बिना, ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य समान उपकरणों तक पहुंच या सभी या किन्हीं भी सेवाओं का प्रावधान निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बैंक, चाहे नियमित रखरखाव के लिए या किसी अन्य कारण से, ऐसा करना आवश्यक मानता है. मुद्रित लेनदेन के रिकॉर्ड, शेषराशि सूचना विवरण, त्रुटियां,.....................................

10. अनधिकृत लेनदेन शिकायतें और ग्राहक शिकायतें

10.1 किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक या ग्राहक का उत्तरदायित्व होगा :

10.1.1 ग्राहक का शून्य उत्तरदायित्व - शून्य उत्तरदायित्व का ग्राहक का अधिकार वहां उत्पन्न होगा जहां अनधिकृत लेनदेन निम्नलिखित ढंग से होता है :

(ए) बैंक की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (चाहे ग्राहक द्वारा लेनदेन की सूचना दी गई हो या नहीं इस बात से निरपेक्ष)
(बी) तृतिय पक्ष का उल्लंघन जहां कमी न तो बैंक में और न ही ग्राहक में निहित है, बल्कि कहीं और प्रणाली में निहित है, और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है.

10.1.2 ग्राहक का सीमित उत्तरदायित्व - ग्राहक निम्नलिखित मामलों में अनधिकृत लेनदेन के कारण होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी होगा :

(ए) ऐसे मामलों में जहां हानि ग्राहक द्वारा लापरवाही के कारण होती है, जैसे कि जहां उसने भुगतान प्रत्यायक साझा किए हैं, ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना दिए जाने तक पूरी हानि उठाएगा. अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी.

(बी) ऐसे मामलों में जहां अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की ज़िम्मेदारी न तो बैंक में और न ही ग्राहक में निहित है, बल्कि कहीं और प्रणाली में निहित है और इस तरह का लेनदेन बैंक को सूचित करने में ग्राहक की ओर से देरी (बैंक से सूचना प्राप्त होने के चार से सात कार्य दिवसों के बाद) होने पर, ग्राहक का प्रति लेनदेन उत्तरदायित्व लेनदेन मूल्य या रू. 10,000/-, जो भी कम हो, तक ही सीमित होगा.

10.1.3 यदि ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के बाद बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक का उत्तरदायित्व बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. बैंक बैंक के बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार मूल्याँकन करेगा और इसका निर्धारण करेगा

संपर्क विवरण : gift.card@axisbank.com

वृद्धि विवरण के लिए, ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axisbank.com) पर जाएँ और बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें

11. सूचना का प्रकटीकरण

11.1 बैंक कार्ड या कार्डधारक इसके संबंध में अन्य संस्थानों को ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जैसाकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में इसकी भागीदारी के संबंध में आवश्यक या उपयुक्त हो सकता है.

11.2 ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य उपकरणों पर कार्ड का उपयोग कार्डधारक की व्यक्त सहमति का गठन करेगा

- उचित लेनदेन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बैंक के लिए जरूरी किसी भी माध्यम से पहचान करने और कार्ड की शेषराशि की जानकारी संग्रहीत, भंडारित, संप्रेषित और प्रसंस्करित करने के लिए
- कार्डधारक के खाते के विवरण और लेनदेन की जानकारी ईडीसी, पीओएस, ऑनलाइन/अन्य उपकरणों पर कार्ड को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अन्य डेटा का प्रतिभागियों और प्रसंस्करणकर्ताओं के नेटवर्क/अन्य नेटवर्क को विमोचन और प्रेषण के लिए
- बैंक/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रसंस्कणकर्ताओं द्वारा ऐसी जानकारी और डेटा प्रतिधारण के लिए

• बैंक/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रसंस्कणकर्ताओं द्वारा सूचना के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए जिसके ऐसे प्रतिभागी और प्रसंस्करणकर्ता अधीन हैं

• लेनदेन के संबंध में तृतिय पक्ष को जानकारी के प्रकटीकरण के लिए जहां यदि ऐसा लेनदेन पूरा करने के लिए आवश्यक है, या जब कानून या सरकारी एजेंसी या अदालत के आदेश या कानूनी कार्यवाही का पालन करने के लिए आवश्यक हो या जब त्रुटियां या प्रश्न सुलझाना आवश्यक हो कि कार्डधारक ने उठाया है या बैंक की आंतरिक डेटा प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

11.3 कार्डधारक एतद्द्वारा बैंक को प्रधान कार्यालय या किन्हीं अन्य शाखाओं, सहायक कंपनियों, या बैंक के सहायक और संबद्ध निगमों, चाहे जहां भी स्थित हों, या भारत में या अन्यत्र किसी भी सरकार या नियामक एजेंसियों, किसी भी एजेंट या संविदाकार से जिसने बैंक के लाभ के लिए कोई भी सेवा (सेवाएं) करने के लिए समझौता किया है और किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) से, चाहे जो भी हो, जहां प्रकटीकरण कानून या अन्यथा द्वारा आवश्यक है जिनसे बैंक इस तरह का प्रकटीकरण करना उपयुक्त मानता है, स्पष्ट रूप से किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत विवरण, कार्ड लेनदेन, या बैंक के साथ लेन-देन से संबंधित किसी भी जानकारी, चाहे जो भी हो, का प्रकटीकरण करने के लिए प्राधिकृत करता है.

11.4 इसके अंतर्गत खातों के संबंध में दायित्व पूरी तरह से बैंक शाखा में देय हैं जिस शाखा पर कार्ड जारी किया गया था और स्थानीय कानूनों (जिसमें बगैर सीमा के, कोई भी सरकारी अधिनियम, आदेश, आज्ञप्ति और वित्तीय और विनिमय नियंत्रण विनियम सहित विनियम शामिल है) के अधीन हैं.

12. बैंक के अधिकार

12.1 बैंक अपने पूर्ण विवेक से कार्डधारकों को सूचना दिए बिना कार्ड वापस ले या निलंबित कर सकता है या इसकी किन्हीं भी सुविधाओं में संशोधन कर सकता है.

12.2 बैंक के पास वह लेनदेन नहीं करने का विवेकाधिकार होगा जहाँ उसके पास यह मानने का कारण है कि कार्ड का उपयोग अधिकृत नहीं है या लेनदेन वास्तविक नही प्रतीत होता है या अस्पष्ट है या ऐसा है जो संदेह पैदा करता है या चाहे जिस भी कारण से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है.

12.3 कार्डधारक द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश बैंक द्वारा एक से अधिक तरीकों से निष्पादित करने में सक्षम होने पर, बैंक अपने पूर्ण विवेक से उक्त तरीकों में से किसी भी एक तरीके से दिए गए निर्देशों को निष्पादित कर सकता है.

13. व्यापारियों के साथ कार्डधारक के विवाद

13.1 कार्डधारक के हस्ताक्षर वाली बिक्री पर्ची/इलेक्ट्रॉनिक पर्ची उस पर दर्ज किए गए कार्ड नंबर के साथ कार्डधारक द्वारा वहन की गई देयता की सीमा तक बैंक और कार्डधारक के बीच निर्णायक साक्ष्य होगी.

13.2 बैंक कार्डधारक द्वारा प्राप्त किन्हीं भी वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्य वारंटी, डिलीवरी में देरी, गैर-डिलीवरी न मिलने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

13.3 यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड सुविधा शुद्ध रूप से कार्डधारक के लिए वस्तुएँ खरीदने या सेवाओं का लाभ लेने की सुविधा है और बैंक वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में गुणवत्ता, मूल्य, डिलीवरी या अन्यथा कोई वारंटी नहीं देता है या कोई अभ्यावेदन नहीं करता है और विवाद सीधे व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए. हालांकि, कार्डधारक व्यापारी के साथ विवाद के बारे में बैंक को स्थानों के नाम, लेनदेन की तिथि और समय का विवरण और अन्य विवरण देते हुए सूचित करेगा जिससे अपनी जाँच में बैंक को सहायता मिलेगी.

13.4 बैंक असहमति की सूचना की प्राप्ति से दो महीनों के भीतर विवरण में बताए गए लागू शुल्क के साथ पीड़ित कार्डधारक की असहमति हल करने का निष्कपट और उचित प्रयास करेगा. यदि ऐसे प्रयास के बाद, बैंक निर्धारित करता है कि बताया गया शुल्क सही है तो वह बिक्री पर्ची या भुगतान माँग की प्रति सहित विवरण के साथ कार्डधारक को सूचित करेगा.

13.5 बैंक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड स्वीकार करने से मना करने की कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

13.6 बैंक ने खरीदी गई वस्तुओं/प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में कार्डधारक को छूट देने के लिए कुछ व्यापारियों के साथ व्यवस्था की है. हालांकि, बैंक ऐसे किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा जो कार्डधारक का ऐसे व्यापारियों के साथ हो सकता है.

14. उत्तरदायित्व से बहिष्करण

14.1 पूर्वगामी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में कार्डधारक के प्रति किसी भी उत्तरदायित्व, चाहे जो भी हो, के अधीन नहीं होगा :

- आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं में किसी दोष से
- कार्ड लेने या स्वीकार करने से किसी भी व्यक्ति द्वारा मना करने से
- किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या ऑनलाइन मर्चेंट की खराबी से
- कार्ड वापस लौटाने का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी विवरण या साथी किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से
- बैंक द्वारा कार्ड पर प्रकट समय सीमा समाप्ति तिथि से पहले कार्ड के समर्पण की माँग और खरीद करने के अपने अधिकार का प्रयोग से, चाहे ऐसी माँग और अभ्यर्पण बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा की गई या खरीदी गई हो या नहीं
- किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का बैंक द्वारा प्रयोग से

• आवेदक के क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट जिसका आरोप कार्ड वापस लेने और/या, इसे वापस करने के किसी भी अनुरोध या कार्ड लेने या स्वीकार करने से किसी भी व्यापारी प्रतिष्ठान द्वारा मना करने के कारण हुई पर लगाया गया है

• बैंक को बताए गए किसी भी विवरण में कोई भी गलतबयानी, गलतफहमी, त्रुटि या चूक से

• व्यापारी के स्थान पर किसी भी कारण से लेनदेन की अस्वीकृति से

14.2 बैंक कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और किसी प्रणाली या उपकरण विफलता के कारण या तृतिय पक्ष के उत्पादों या बिजली या दूरसंचार सहित लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं परस्पर निर्भरता पर बैंक द्वारा निर्भरता के कारण किन्हीं भी सेवा विफलताओं या व्यवधान (डेटा खोने सहित, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं) से किसी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

14.3 बैंक ईश्वरीय कृत्य, दंगों, नागरिक विद्रोह, विप्लव, युद्ध, या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण या अपने नियंत्रण से परे किन्हीं भी अन्य कारणों से या किसी भी हड़ताल या तालाबंदी से अपने व्यापार के बाधा आने से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.

14.4 यदि कोई ईडीसी, पीओएस या इसी तरह का उपकरण या ऑनलाइन पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्डधारक को लेनदेन की कुछ या सभी राशि की हानि होती है, और बैंक द्वारा बैंक के रिकॉर्ड के सत्यापन के माध्यम से इस तरह की हानि की पुष्टि होती है, तो बैंक सेवा शुल्कों, यदि कोई हो, के लिए किसी भी समायोजन सहित आपके कार्ड में कोई भी समायोजन करके उस हानि को सही करेगा.

14.5 कार्डधारक के निर्देशों का अनुपालन करने में किसी भी विफलता के कारण कार्डधारक को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, बैंक के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से ऐसी विफलता होने पर बैंक की राय इस संबंध में अंतिम होगी.

14.6 कार्ड सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए लेनदेन को पूरा करने के लिए बैंक को स्पष्ट प्राधिकरण प्रदान करता है. पिन के माध्यम से किए गए लेनदेन के अलावा किए गए लेनदेन की प्रामाणिकता सत्यापित करने का बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा.

14.7 बैंक किसी भी परिस्थिति में चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी हो, और चाहे कोई भी दावा व्यापार के राजस्व, निवेश, उत्पादन, सद्भावना, लाभ, बाधा के नुकसान पर आधारित हो या नहीं, इस बात से निरपेक्ष या किसी भी चरित्र या प्रकृति के किसी भी अन्य नुकसान चाहे जो भी हो और चाहे कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए रखा गया हो या नहीं हानियों या क्षतियों चाहे जो भी हों के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

14.8 बैंक परिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध, मांग, अनैच्छिक हस्तांतरणों, युद्ध के कृत्य या नागरिक संघर्ष या बैंक के नियंत्रण से परे ऐसे ही अन्य कारणों के कारण, जिस परिस्थिति में कोई भी अन्य शाखा, बैंक की सहायक कंपनी या सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कार्ड में जमा की गई धनराशियों की अनुपलब्धता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

15. भुगतान अस्वीकार करने की क्षमता

15.1 सिवाय जैसा कि कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक है, बैंक को कोई भी परवाना, सम्मन, आदेश, निषेधाज्ञा, अन्यमनस्क, उद्ग्रहण, ग्रहणाधिकार, सूचना या नोटिस मिलने पर जिसे बैंक सद्विश्वास से कार्ड पर लेनदेन करने की कार्डधारक की क्षमता पर सवाल उठाने वाला मानता है, बैंक, अपने विवेक से और अपनी निधियों का कोई भी हिस्सा प्राप्त करने के लिए कार्डधारक के प्रति उत्तरदायित्व के बिना, या बैंक ऐसी निधियां उपयुक्त प्राधिकारी को भुगतान कर सकता है और लागू कानून द्वारा आवश्यक कोई भी अन्य कदम उठा सकता है.

15.2 बैंक उचित सेवा शुल्क और कार्ड से संबंधित कानूनी कार्रवाई के कारण सीमाबंधन रहित उचित कानूनी शुल्क सहित बैंक द्वारा किए गए किसी भी व्यय की कार्ड पर उपलब्ध राशि से कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

16. कार्ड की समाप्ति

16.1 यदि कार्डधारक कार्ड का उपयोग समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक बैंक को लिखित में 7 दिन से कम नहीं की पूर्व सूचना देगा और बैंक को तत्काल गिफ्ट कार्ड वापस लौटा देगा और उसकी वैध रसीद प्राप्त करेगा. इस तरह की समाप्ति को बैंक द्वारा कार्डधारक को दी गई सभी सुविधाओं की समाप्ति भी समझा जाएगा.

16.2 कार्डधारक द्वारा कार्ड नष्ट होने के दावे के बाद कार्ड पर वहन किए गए शुल्कों की स्थिति में, कार्डधारक कार्ड पर वहन किए गए शुल्कों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा चाहे ऐसा दुरुपयोग का परिणाम हो या नहीं या चाहे बैंक को कार्ड के विनाश के बारे में सूचित किया गया हो या नहीं.

16.3 बैंक कोई भी कारण चाहे जो भी हो बताकर या बताए बिना और 7 दिनों का नोटिस देकर कार्ड निरस्त करके कभी भी इस सुविधा को बंद करने का हकदार होगा और बैंक को लिखित में आखिर में अधिसूचित भारत में कार्डधारक के पते पर भेजने के 7 दिनों के साथ कार्डधारक द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा.

17. क्षतिपूर्ति

17.1 कार्डधारक बैंक, उसके ग्राहकों या तृतिय पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान या कार्डधारक उसके किसी भी एजेंट, कर्मचारी और सहयोगी द्वारा कार्ड सुविधा के उपयोग के संबंध में तृतिय पक्ष द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को हानिरहित रखेगा. कार्डधारक सभी देनदारियों, हानियों, क्षतियों और व्ययों के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है, जो बैंक सीधे या परोक्ष रूप से भुगत या उठा सकता है :

• कार्डधारक की लापरवाही/गलती या दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप

• कार्ड से संबंधित नियमों/नियमों और शर्तों के उल्लंघन या अननुपालन के परिणामस्वरूप

• कार्डधारक या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी के परिणामस्वरूप

• ऑनलाइन मर्चेंट, ईडीसी और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मशीनें हैं और परिचालन के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं

17.2 कार्डधारक ऐसी किसी भी मशीनी/यांत्रिक त्रुटियों/विसफलताओं के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है. बैंक बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से सुविधा प्रदान करने या नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. कार्डधारक को कार्ड की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक के बदल में, कार्डधारक क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है और एतद्द्वारा बैंक के सभी कार्यों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, व्यक्तिगत चोट, लागतों, शुल्कों और व्ययों, चाहे जो भी हो, के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जो बैंक को किसी भी समय कार्डधारक को कार्ड की उक्त सुविधा प्रदान करने के परिणामस्वरूप या के चलते या कार्डधारक के निर्देश पर कार्रवाई करना या छोड़ना स्वीकार करते या अस्वीकार करते हुए बैंक द्वारा सद्विश्वास के साथ कार्य करने के कारण उठाना, वहन करना, भुगतना या सामना करना पड़ सकता है. कार्डधारक एतद्द्वारा बैंक को किसी भी उत्तरदायित्व (नागरिक या आपराधिक), हानि, लागत, व्ययों या क्षतियों के विरूद्ध पूरी तरह से क्षतिपूरित करता है जो कार्ड खोने या दुरुपयोग के कारण उत्पन्न सकते हैं, यदि यह खो गया है और बैंक को सूचित नहीं किया गया है या और बैंक को सूचित किए जाने से पहले खो गया या दुरुपयोग किया गया है.

18. विविध

18.1 कार्डधारक को या तो कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने और लिखित में कार्ड की प्राप्ति स्वीकार करने पर इन नियमों और शर्तों के प्रति बेशर्त सहमति देने वाला और को स्वीकार करने वाला समझा जाएगा.

18.2 बैंक कार्ड पर प्रदान की गई नीतियों, सुविधाओं और लाभों में संशोधन करने और समय-समय पर इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस पर अद्यतन नियम और शर्तें ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट www.axisbank.com पर उपलब्ध कराई जाएँगी. कार्डधारक इस तरह के बदलावों

से बाध्य होगा जब तक कि उस तिथि से पहले कार्ड निरस्त करने के लिए बैंक को वापस नहीं लौटा दिया जाता है जिस पर कोई बदलाव प्रभावी होगा.

18.3 इन शर्तों से कार्डधारक और बैंक के बीच अनुबंध का गठन होता है. यह सेवा स्वीकार करके, कार्डधारक इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है.

18.4 बैंक नीचे सूचीबद्ध उद्देश्यों/कारणों सहित (लेकिन इस तक ही सीमित नहीं) परिवर्तन कर सकता है:
• पूरी तरह से गिफ्ट कार्ड के उपयोग से संबंधित प्रभार आरोपित करना या बढ़ाना
• अपने कार्ड के साथ लेनदेन से संबंधित हानियों के लिए कार्डधारक का उत्तरदायित्व बढ़ाना

18.5 यदि कार्ड लेनदेनों के लिए उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या उपकरण की सुरक्षा बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है, तो बैंक बगैर सूचना के बदलाव कर सकता है. यदि ऐसा परिवर्तन किया जाएगा, तो कार्डधारक को 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा जब तक कि प्रकटीकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या उपकरणों की सुरक्षा खतरे में न डाल दे.

18.6 बैंक द्वारा कार्डधारक को इनकी और किन्हीं भी अन्य परिवर्तनों की सूचना ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट www.axisbank.com के माध्यम से दी जा सकती है

18.7 बैंक ऐक्सिस बैंक की वेबसाइट पर भी डालकर कार्डधारक को इन नियमों और शर्तों में परिवर्तन की सूचना दे सकता है.

18.8 ये नियम और शर्तें; ए) या तो मौखिक या लिखित में, पहले से किए गए किन्हीं भी प्रस्तावों, अभिवेदनों, समझौतों और करारों, व्यक्त या विवक्षित, पर अभिभावी होंगी और बी) जमा खातों के लिए बैंक के सामान्य नियम और शर्तों और अन्यथा लागू बैंक के किन्हीं अन्य नियमों और शर्तों के अतिरिक्त लागू होंगी. हालांकि, टकराव की स्थिति में, गिफ्ट कार्ड सुविधा के लिए नियम और शर्तें गिफ्ट कार्ड सुविधा के अंतर्गत लेनदेनों के संबंध में अभिभावी होंगी.

19. कानून का अनुपालन

ऐक्सिस बैंक द्वारा प्रदान किया गया गिफ्ट कार्ड उत्पाद ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक समेत नियामक और/या सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और गिफ्ट कार्ड से संबंधित प्रावधान नियामकीय आवश्यकता और/या ऐक्सिस बैंक की आंतरिक नीति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं. इसमें प्रदान की गई गिफ्ट कार्ड सुविधा और ये नियम और शर्तें लागू कानूनों और विनियमों के अधीन हैं और किसी भी समय प्रचलित कानून या विनियमन के आधार पर संशोधित या बंद कर दी जाएगी और बैंक उस समय प्रचलित या संशोधित कानून के अनुसार शर्तें संशोधित किए जाने के ऐसे समय तक किसी भी दायित्व या बंधन के अधीन नहीं होगा या उक्त कार्ड सुविधा का कार्यान्वयन जारी नहीं रखेगा. ऐसी स्थिति में, कि किसी समय बिंदु पर प्रचलित कानून के पूर्ण अनुपालन

के बिना कार्ड सुविधा जारी नहीं रखी जा सकती है, इस समझौते/नियमों और शर्तों को व्यवस्था प्रतिबंधित या निषिद्ध करने वाला संशोधित कानून प्रभावी होने की तिथि से तत्काल समाप्त समझा जाएगा.

20. शासी कानून और क्षेत्राधिकार

ये नियमों और शर्तें और/या लेनदेन भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होंगे और कार्ड के उपयोग से उत्पन्न होने वाले किन्हीं भी दावों या मामलों के संबंध में मुंबई के सभी न्यायालयों का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा.